

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-142

दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण

*142. श्री जी. सेल्वम:

श्री सी. एन. अन्नादुरई

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं और ग्रामीण विद्युतीकरण में इसका क्या योगदान है;

(ख) इस योजना के तहत विद्युतीकृत गांवों और घरों की संख्या और विद्युतीकरण कवरेज की वर्तमान स्थिति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को प्रदान किए गए बिजली कनेक्शनों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) बीपीएल परिवारों को निःशुल्क या रियायती बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए किसी विशेष प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत किस वर्ष तक शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण कर लिए जाने का लक्ष्य है;

(च) इस योजना के तहत ग्रामीण बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;

(छ) दूरदराज और दुर्गम इलाकों में इस योजना को लागू करने में आने वाली चुनौतियां क्या हैं तथा उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ज) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास और आर्थिक कार्यकलापों पर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के प्रभाव की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ज) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण” के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 142 के संबंध में भाग (क) से (ज) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ड) : भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:

- i. कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की न्यायोचित रोस्ट्रिंग हो सके;
- ii. ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण (एसटीएंडडी) अवसंरचना सुदृढीकरण और संवर्धन, जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ता तक मीटर लगाना शामिल है;
- iii. पूर्ववर्ती ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के शेष कार्यों सहित ग्रामीण विद्युतीकरण को डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत शामिल कर लिया गया।

राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों में दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युत पहुंचा दी गई। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवों में विद्युत पहुंचाई गई। राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने थे। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 से सितंबर 2017 तक विद्युतीकृत बीपीएल घरों का विवरण **अनुबंध-II** पर है।

भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की शुरुआत की थी। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों का विवरण, जिसमें डीडीयूजीजेवाई (दिनांक 31.03.2022 तक) के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त घर भी शामिल हैं, **अनुबंध-III** पर है।

जुलाई 2021 में भारत सरकार द्वारा संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य वितरण यूटीलिटियों यानी डिस्कॉम/विद्युत विभागों को वितरण क्षेत्र की प्रचालनात्मक क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में सहायता करना था, ताकि गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान की जा सके। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) सहित आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्यों का विवरण **अनुबंध-IV** पर है।

(च) : गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 1.17 लाख करोड़ रुपये की लागत के वितरण अवसंरचना कार्य शुरू किए गए, जिनमें सब-स्टेशनों का विस्तार, नए सब-स्टेशनों का निर्माण, फीडर पृथक्करण, 33 केवी/11 केवी/एलटी लाइनें बिछाना, नए वितरण ट्रांसफार्मर आदि शामिल हैं। स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत सभी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य पूरे कर लिए गए हैं और स्कीम दिनांक 31.03.2022 तक बंद हो गई है।

(छ) : परियोजना के कार्यान्वयन में दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों और जंगलों जैसी जटिल स्थलाकृति, चरम मौसम परिस्थिति और कुशल जनशक्ति की उपलब्धता जैसी चुनौतियां शामिल हैं। चुनौतियों का समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों में पोर्टेबल सबस्टेशन और प्री-फैब्रिकेटेड संरचनाओं जैसे इंजीनियरिंग समाधान शामिल हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग, ड्रोन और रिमोट सुपरविजन टूल जैसी तकनीकों ने परियोजना कार्यान्वयन में वृद्धि की। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे श्रमिकों और ठेकेदारों को पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए तैयार किया गया।

(ज) : मंत्रालय ने मेसर्स अन्स्ट एंड यंग एलएलपी के माध्यम से वर्ष 2022 में डीडीयूजीजेवाई का तृतीय पक्ष प्रभाव मूल्यांकन कराया, जिसमें इस स्कीम के व्यवसाय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक सुरक्षा और बैंकिंग पर पड़ने वाले व्यापक सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से दिनांक 28.04.2018 तक आबादी वाले जनगणना गांवों का राज्यवार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू और कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	18,374

डीडीयूजीजेवाई के तहत वित्त वर्ष 2015 से सितंबर 2017 तक कुल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को विद्युतीकृत करने की राज्यवार उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल बीपीएल विद्युतीकृत परिवार
1	आंध्र प्रदेश	6,64,851
2	असम	1,01,537
3	बिहार	19,76,832
4	छत्तीसगढ़	63,756
5	गुजरात	813
6	जम्मू एवं कश्मीर	1,133
7	झारखंड	12,391
8	कर्नाटक	98,821
9	केरल	24,993
10	मध्य प्रदेश	5,61,262
11	महाराष्ट्र	59
12	मेघालय	95
13	मिजोरम	447
14	नागालैंड	507
15	ओडिशा	1,03,857
16	राजस्थान	1,49,854
17	सिक्किम	1,850
18	तमिलनाडु	1,976
19	तेलंगाना	849
20	त्रिपुरा	41,759
21	उत्तर प्रदेश	10,82,986
22	उत्तराखंड	46
23	पश्चिम बंगाल	34,450
	कुल	49,25,124

सौभाग्य योजना के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों की संख्या, जिसमें डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि भी शामिल है

क्रम. सं.	राज्यों का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू और कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		2,86,13,424

*सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं

आरडीएसएस के तहत संस्तुत घरेलू विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपए)	स्वीकृत जीबीएस (करोड़ रु. में)	कुल स्वीकृत परिवार	22.11.2024 तक विद्युतीकृत घर
क.	अतिरिक्त परिवार				
1	राजस्थान	459.18	275.51	1,90,959	64,368
2	मेघालय	435.70	392.13	50,501	0
3	मिजोरम	79.90	71.91	15,167	0
4	नागालैंड	69.55	62.59	10,004	0
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	2,51,487	0
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.54	15,475	12,740
7	झारखंड	7.47	4.48	872	0
8	जम्मू और कश्मीर	77.10	69.39	10,730	0
9	बिहार	238.86	143.31	35,467	0
10	असम	785.55	706.99	1,27,111	0
11	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	6,506	0
12	मणिपुर	214.44	193.00	36,972	0
13	छत्तीसगढ़	316.51	189.90	63,161	0
	कुल (क)	3,711.65	2,739.79	8,14,412	77,108
ख.	जीवंत गांव कार्यक्रम के अंतर्गत				
1	हिमाचल प्रदेश*	6.08	5.47	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683	0
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154	0
	कुल (ख)	39.34	35.41	2,837	0
ग.	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत				
ग1	आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत				
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	25,054	24,057
2	बिहार	0.28	0.17	51	0
3	छत्तीसगढ़	38.17	22.90	7,077	4,323
4	झारखंड	74.13	44.47	12,442	62
5	मध्य प्रदेश	143.39	86.02	29,290	9,445
6	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556	9,216
7	राजस्थान	40.34	24.20	17,633	15,667
8	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615	921
9	केरल	0.86	0.52	345	309
10	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673	4,851
11	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884	3,884
12	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664	5,329

13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669	669
14	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316	195
	उप योग (ग1)	516.15	328.31	1,29,269	78,928
ग2	राज्य योजना के अंतर्गत				
1	गुजरात	0	0	0	6,626
2	ओडिशा	0	0	0	1,326
3	पश्चिम बंगाल	0	0	0	3,372
	उप योग (ग2)	0	0	0	11,324
	कुल (ग=ग1+ग2)	516.15	328.31	1,29,269	90,252
घ.	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत				
1	छत्तीसगढ़	11.98	7.19	2,550	0
2	महाराष्ट्र	2.07	1.24	480	0
	कुल (घ)	14.05	8.43	3,030	0
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	4,281.19	3,111.93	9,49,548	1,67,360

* वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कार्य संस्वीकृत

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1643

दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

1643. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की मांग में अचानक वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बिजली प्रबंधकों और अन्य हितधारकों की तैयारियों से संबंधित पहलुओं पर गौर करने के लिए एक एकल सदस्यीय पीठ का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिजली की अधिकतम मांग 232.2 गीगावाट होने की उम्मीद है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि आकस्मिकता को पूरा करने के लिए 3% की आरक्षित आवश्यकता के साथ लगभग 12.60 गीगावाट के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है।

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त आयोग ने राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर, क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (आरएलडीसी), और राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) को ग्रिड कोड प्रावधानों के अनुसार कदमों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जी हां। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने स्वप्रेरणा याचिका संख्या 9/एसएम/2024 में मौसमी बदलावों के कारण विद्युत की मांग में अचानक वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रणाली ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों की तैयारी से संबंधित पहलुओं पर विचार करने और भविष्य के लिए किए जाने वाले निवारक उपायों के संबंध में सिफारिशें देने के लिए दिनांक 07.10.2024 को एकल सदस्यीय पीठ की नियुक्ति की है।

(ख) और (ग) : याचिका संख्या 9/एसएम/2024 में एनएलडीसी/ग्रिड-इंडिया द्वारा सीईआरसी को दिए गए निवेदन के अनुसार, अक्टूबर 2024 में अधिकतम विद्युत की मांग 232.2 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें लगभग 12.60 गीगावाट (3% रिजर्व के साथ) की अतिरिक्त उत्पादन आवश्यकता होगी।

देश में बढ़ती विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं: -

- क. आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को अपनी पूरी क्षमता से विद्युत का प्रचालन करने और उत्पादन करने के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्देश जारी किए गए हैं।
- ख. एनटीपीसी के गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ एनवीवीएन के माध्यम से खरीदे गए गैस आधारित उत्पादन को उच्च विद्युत मांग अवधि के दौरान निर्धारित किया जा रहा है।
- ग. ईंधन की कमी को रोकने के लिए सभी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
- घ. आईपीपी और केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों सहित सभी जेनको को नियोजित रखरखाव या जबरन कटौती की अवधि को छोड़कर दैनिक आधार पर उत्पादन और पूर्ण उपलब्धता बनाए रखने की सलाह दी गई है।
- ङ. हाइड्रो आधारित उत्पादन को इस तरह से निर्धारित किया जा रहा है ताकि उच्चतम अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण किया जा सके।
- च. उच्च मांग की अवधि के दौरान उत्पादन इकाइयों के नियोजित रखरखाव को न्यूनतम किया जा रहा है।
- छ. बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने के लिए, समय पर नई विद्युत उत्पादन क्षमता को जोड़ने के लिए बारीकी से निगरानी की गई।
- ज. सभी राज्यों/संयंत्रों को निर्देश दिया गया कि वे घाटे वाले राज्यों के लिए बेहतर उपलब्धता के लिए किसी भी अधिशेष उत्पादन को बाजार में पेश करें।

हालांकि, अक्टूबर, 2024 के माह में अखिल भारतीय अधिकतम मांग 219 गीगावाट थी, जिसे बिना किसी कमी के पूरा किया गया।

(घ) एवं (ङ) : जी हां। सीईआरसी के निर्देशों के तहत, एनएलडीसी और आरएलडीसी ने अनुबंध पर दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न समयावधियों में गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

समयावधि	गतिविधि
आगामी वर्ष (2024-25)	<p>संसाधन पर्याप्तता (आरए) अध्ययन, भार भिन्नता, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और तापीय इकाई आउटटेज जैसी अनिश्चितताओं के बीच भारत की उत्पादन संसाधन पर्याप्तता का आकलन करने के लिए किया गया था।</p> <p>वार्षिक संसाधन पर्याप्तता अभ्यास के संबंध में पर्याप्त तापीय उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए उत्पादन आउटटेज योजना।</p> <p>ग्रिड स्थिरता बनाए रखने, अधिकतम मांग अवधि का प्रबंधन करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी परिवर्तनशीलता को समायोजित करने के लिए आवश्यक भंडारों के आकलन हेतु सभी राज्यों का व्यापक भंडार अनुमान।</p> <p>नेटवर्क पर्याप्तता (टीटीसी/एटीसी): अंतर-क्षेत्रीय, अंतःक्षेत्रीय और सीमापार गलियारों के लिए कुल स्थानांतरण क्षमता (टीटीसी) और उपलब्ध स्थानांतरण क्षमता (एटीसी) का मूल्यांकन और प्रकाशन, आरएलडीसी और एनएलडीसी के परामर्श/इनपुट से 11 माह पहले किया जाएगा।</p>
आगामी माह	<p>अगले माह के आधार पर संसाधन पर्याप्तता (आरए) अध्ययन भी उसी उपकरण का उपयोग करके किया जा रहा है, जैसा कि अद्यतन इनपुट पर विचार करते हुए अगले वर्ष के लिए किया जा रहा है।</p> <p>मासिक संचालन समन्वय समिति के माध्यम से पर्याप्त नेटवर्क क्षमता और ग्रिड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनएलडीसी के दायरे में आने वाले तत्वों के लिए पारेषण आउटटेज योजना।</p> <p>नेटवर्क पर्याप्तता (टीटीसी/एटीसी): यदि आवश्यक हो तो माह-दर-माह आधार पर अंतर-क्षेत्रीय, अंतःक्षेत्रीय और सीमा पार गलियारों के लिए कुल स्थानांतरण क्षमता (टीटीसी) और उपलब्ध स्थानांतरण क्षमता (एटीसी) की समीक्षा।</p>
आगामी सप्ताह	<p>एनएलडीसी/आरएलडीसी द्वारा अखिल भारतीय साप्ताहिक की मांग का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है।</p> <p>प्रचालन योजना: अनुमानित उत्पादन और मौसम पैटर्न के साथ साप्ताहिक मांग पूर्वानुमान के आधार पर, आगामी सप्ताह के लिए विश्लेषण किया जा रहा है, और एनएलडीसी से सभी आरएलडीसी को प्रचालन योजना संबंधी सलाह जारी की जा रही है।</p> <p>पर्याप्त नेटवर्क क्षमता और ग्रिड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पारेषण आउटटेज योजना।</p>
आगामी दिन	<p>संपूर्ण संसाधन पर्याप्तता (आरए) अभ्यास और मांग पूर्वानुमान में त्रुटियों पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है।</p> <p>नेटवर्क पर्याप्तता (टीटीसी/एटीसी) और पारेषण आउटटेज: डी-1 में पारेषण आउटटेज को अंतिम रूप देना, एन-1 अनुपालन सुनिश्चित करना और इसके आधार पर टीटीसी/एटीसी को संशोधित किया जा रहा है, यदि आवश्यक हो।</p>

समयावधि	गतिविधि
	<p>रिजर्व आकलन और खरीद: एनएलडीसी डे-अहेड आधार पर ऐतिहासिक क्षेत्र नियंत्रण त्रुटि (एसीई) के आधार पर दोगुना/तिगुना रिजर्व आकलन करता है। तिगुना रिजर्व की बाजार आधारित खरीद डे-अहेड मार्केट (डीएएम) के माध्यम से डे-अहेड आधार पर और शेष रिजर्व रियल-टाइम मार्केट (आरटीएम) के माध्यम से की जा रही है।</p> <p>सुरक्षा बाधा इकाई प्रतिबद्धता (एससीयूसी): एनएलडीसी सीईआरसी अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार डे-अहेड सुरक्षा बाधा इकाई प्रतिबद्धता (एससीयूसी) मॉड्यूल के संचालन के माध्यम से पर्याप्त उत्पादन उपलब्धता सुनिश्चित करता है।</p>
इंट्रा डे	<p>वास्तविक समय में प्रचालन योजना के लिए इंट्राडे संसाधन पर्याप्तता की निगरानी की जा रही है।</p> <p>नेटवर्क पर्याप्तता (टीटीसी/एटीसी) और पारेषण आउटटेज: किसी भी आपातकालीन आउटटेज या एलीमेंट की ट्रिपिंग के मामले में, नेटवर्क पर्याप्तता का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है और यदि आवश्यक हो तो टीटीसी/एटीसी को संशोधित किया जा रहा है।</p> <p>रिजर्व खरीद: इंट्रा-डे तिगुना रिजर्व (शेष राशि की आवश्यकता है, यदि कोई हो) खरीद रियल-टाइम मार्केट (आरटीएम) के माध्यम से की जा रही है।</p> <p>सभी प्रणाली बाधाओं का पालन करते हुए न्यूनतम उत्पादन लागत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन अनुकूलन के लिए सुरक्षा बाध्य आर्थिक प्रेषण (एससीईडी) किया जा रहा है।</p> <p>सकाडा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईमएस) के माध्यम से वास्तविक समय आकस्मिक विश्लेषण किया जाता है।</p>

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1655
दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

बिजली की मांग और आपूर्ति

1655. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश, विशेषकर बागपत जिले में बिजली की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बागपत में विद्युत परियोजनाओं के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में अक्टूबर, 2024 तक ऊर्जा के संदर्भ में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर है। विद्युत आपूर्ति की स्थिति दर्शाती है कि विद्युत की आपूर्ति, विद्युत आवश्यकता के अनुरूप रही है और ऊर्जा की कमी वित्त वर्ष 2022 में 0.9% से घटकर वित्त वर्ष 2025 (अक्टूबर, 2024 तक) में 0.3% हो गया है।

विद्युत, समवर्ती विषय होने के कारण, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटीज के अधिकार क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले सहित विभिन्न जिलों को विद्युत आपूर्ति संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटीज के अधिकार क्षेत्र में है।

(ग) और (घ) : उत्तर प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन नई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर है।

ऊर्जा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में अक्टूबर, 2024 तक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा

वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू) में]			
	ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2021-22	1,29,448	1,28,310	1,138	0.9
2022-23	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8
2023-24	1,48,791	1,48,287	504	0.3
2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक)*	1,11,367	1,11,071	296	0.3

*अक्टूबर, 2024 के आंकड़े अनंतिम हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन नई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम / कार्यान्वयन एजेंसी	जिला	क्षेत्र	इकाई सं.	क्षमता (मेगावाट)
1	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	कानपुर	केंद्रीय	यू-1, 2 एवं 3	1980
2	जवाहरपुर एसटीटीपी (यूपीआरवीयूएनएल)	एटा	राज्य	यू-2	660
4	खुर्जा एससीटीपीपी (टीएचडीसी)	बुलंदशहर	केंद्रीय	यू-1 & 2	1320
3	ओबरा-सी एसटीटीपी (यूपीआरवीयूएनएल)	सोनभद्र	राज्य	यू-2	660
5	पंकी टीपीएस एक्सटेंशन (यूपीआरवीयूएनएल)	कानपुर	राज्य	यू-1	660
महा योग					5280

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1656
दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों का विद्युतीकरण

1656. श्री देवसिंह चौहान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गुजरात में दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के विद्युतीकरण में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : गुजरात राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गुजरात के दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में बसे हुए सभी गांवों और पात्र घरों में विद्युत पहुंच चुकी है।

विद्युत कई व्यावसायिक और घरेलू गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करती है। राज्य ने बताया है कि विद्युत पहुंचने से दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर, रोजगार के अवसरों, कृषि गतिविधियों और शैक्षिक परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1664
दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना

1664. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुराने विद्युत अवसंरचना के कारण ग्रामीण किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में पुनरुद्धार वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत कार्य शुरू करने के अनुमोदन में तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास खेती के लिए रात्रिकालीन बिजली वितरण से संबंधित सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किसानों के जीवन को खतरे में डालने वाली घटनाओं को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार पुराने विद्युत कंडक्टरों से उत्पन्न खतरों को दूर करने के लिए, विशेषकर गुलवांची गांव में हाल ही में हुई दुःखद घटना के मद्देनजर, कोई तत्काल उपाय कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के लिए हानि में कमी और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 30,755 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

इसमें 30% से अधिक कृषि भार वाले 4,712 मिश्रित भार फीडरों के लिए 7,010 करोड़ रुपये की लागत वाले कृषि फीडर पृथक्करण कार्य शामिल हैं। यह अपेक्षित है कि कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करने से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तीन चरण आपूर्ति की सुविधा मिलेगी और किसानों को दिन के समय विद्युत की आपूर्ति करने में डिस्कॉम को सहायता मिलेगी।

महाराष्ट्र राज्य ने सूचित किया है कि खेती के काम में रात्रि कालीन सुरक्षा शंका को देखते हुए और कृषि उपभोक्ताओं को दिन के समय विद्युत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)/मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना (एमएसकेवीवाई) को 16,000 मेगावाट की विकेन्द्रीकृत सौर विद्युत परियोजनाएं संस्थापित करने की योजना के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके समर्थन के लिए, आरडीएसएस के तहत 2,978 करोड़ रुपये की लागत से बैक-एंड अवसंरचना को बढ़ाने के लिए प्रणाली सुदृढीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य के 'मैगेल टायला सौर पंप कार्यक्रम' के अंतर्गत पारंपरिक पंपों के बजाय सौर पंप संस्थापित किए जा रहे हैं।

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत कार्य अवाई कर दिए गए हैं तथा उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ड) : महाराष्ट्र राज्य ने सूचित किया है कि गुलवंची गांव में हुई दुखद घटना की पुनरावृत्ति से रोकने के लिए पुरानी खराब हो चुकी लो टेंशन (एलटी) बेयर कंडक्टर लाइनों की पहचान की गई है और उन्हें एलटी एरियल बंड केबल से बदला जा रहा है। साथ ही, एमएसईडीसीएल द्वारा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है और रखरखाव गतिविधियाँ प्राथमिकता के आधार पर की जा रही हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1690
दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

बिजली लाइनों में निजी भूमि उपयोग के लिए मुआवजा

1690. श्री राधेश्याम राठिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निजी भूमि पर बिजली कंपनियों द्वारा भूस्वामी की पूर्व सहमति के बिना बिजली के खंभे, तार और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए उन्हें कोई मुआवजा या किराया प्रदान किया जाता है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किस आधार पर मुआवजा तय किया जाता है और प्रभावित भूमि मालिकों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए क्या दिशा-निर्देश हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रभावित ग्रामीण भूस्वामियों के संरक्षण हेतु कोई नीति बनाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचना दी है कि भू-स्वामियों को कोई किराया या मुआवजा नहीं दिया गया है।

(ग) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.06.2024 को पारेषण लाइनों के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के संबंध में मुआवजे के भुगतान के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमि दर को बाजार दर से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा, टावर के आधार क्षेत्र और आरओडब्ल्यू कॉरिडोर के लिए मुआवजा राशि को भूमि मूल्य का क्रमशः 200% और 30% तक बढ़ा दिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1713
दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

कोयले के आयात पर बढ़ती निर्भरता

1713. डॉ. सी. एम. रमेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अपर्याप्त वर्षा के कारण जल विद्युत उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2024 में कोयले के आयात में वृद्धि होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत के विद्युत उत्पादन मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने के प्रयासों सहित जल विद्युत के कम होने के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(ग) वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता के अनुसार कोयले, विशेषकर आयातित ताप कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : वर्ष 2022-23, 2023-24 और वर्तमान वर्ष के अक्टूबर, 2024 तक जल विद्युत उत्पादन के विवरण अनुबंध पर है।

वित्त वर्ष 2023-24 में मानसून की बारिश में उतार-चढ़ाव के कारण जलाशयों का स्तर कम हो गया, जिससे जलविद्युत उत्पादन कम हो गया। आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों से उत्पादन सहित कोयला आधारित उत्पादन में भी इसी तरह की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले का आयात वर्ष 2022-23 में 55.6 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 65.7 मीट्रिक टन हो गया है। इसका मुख्य कारण आईसीबी संयंत्रों द्वारा आयात में 20.5 मीट्रिक टन से 41.8 मीट्रिक टन की वृद्धि है। हालांकि, इस अवधि के दौरान, घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) संयंत्रों द्वारा मिश्रण के लिए कोयले का आयात 35.1 मीट्रिक टन से घटकर 23.9 मीट्रिक टन रह गया है।

इसके अतिरिक्त, अप्रैल से अक्टूबर, 2024 की अवधि के दौरान, विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 35.3 मीट्रिक टन से बढ़कर 40.9 मीट्रिक टन हो गया है, जो लगभग 16% की वृद्धि दर्शाता है। इसका मुख्य कारण इस अवधि के दौरान आईसीबी संयंत्रों से उत्पादन में 45.363 बीयू से 56.258 बीयू की वृद्धि होना है, जिसके परिणामस्वरूप आयात 21.7 मीट्रिक टन से बढ़कर 30.0 मीट्रिक टन

हो गया है। इसी अवधि के दौरान, मिश्रण के लिए घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) संयंत्रों द्वारा कोयले का आयात 13.6 मीट्रिक टन से घटकर 10.9 मीट्रिक टन हो गया है।

सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- i. सौर, पवन, पंप भंडारण संयंत्र और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से उत्पादित/आपूर्ति की गई विद्युत के पारेषण पर आईएसटीएस प्रभारों में छूट।
- ii. वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व ट्रेजेक्टरी।
- iii. हरित ऊर्जा गलियारों का निर्माण और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना।
- iv. बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।

(ग) : सरकार ने कोयला आधारित उत्पादन पर निर्भरता कम करने के लिए जलविद्युत, न्यूक्लियर और नवीकरणीय क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू किए हैं:

- i. 13,997.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं तथा 6,050 मेगावाट की पंप भंडारण परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा 24,225.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं तथा 50,760 मेगावाट की पीएसपी योजना के विभिन्न चरणों में हैं।
- ii. 7,300 मेगावाट की न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और 7,000 मेगावाट योजना/अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।
- iii. 1,27,050 मेगावाट की नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है और 89,690 मेगावाट निविदा के विभिन्न चरणों में है।
- iv. भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 5,00,000 मेगावाट से अधिक तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है।
- v. ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ बायोमास पैलेट के को-फायरिंग के संबंध में मौजूदा नीति के अनुसार, विद्युत उत्पादन यूटिलिटी के सभी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को वित्त वर्ष 2024-25 से कोयले के साथ-साथ कृषि अवशेषों से बने बायोमास पैलेट के 5% मिश्रण का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यह बाध्यता वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़कर 7% हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ाने और आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है।
- ii. कैप्टिव खान मालिकों (परमाणु खनिजों के अलावा) को अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक खुले बाजार में बेचने में सक्षम बनाने हेतु, खदान से जुड़े अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान पर, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (एमएमडीआर अधिनियम) को लागू करना।
- iii. कोयला खदानों के प्रचालनीकरण में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए एकल खिड़की मंजूरी पोर्टल

- iv. कोयला खदानों के शीघ्र प्रचालनीकरण के लिए विभिन्न अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करने हेतु कोयला ब्लॉक आवंटियों की सहायता के लिए परियोजना निगरानी यूनिट।
- v. राजस्व साझेदारी के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। वाणिज्यिक खनन स्कीम के तहत, उत्पादन की निर्धारित तिथि से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) पर प्रोत्साहन दिया गया है।
- vi. वाणिज्यिक कोयला खनन की शर्तें और नियम बहुत उदार हैं, जिनमें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है, अग्रिम राशि कम है, मासिक भुगतान के विरुद्ध अग्रिम राशि का समायोजन है, कोयला खदानों को चालू करने के लिए अनुकूलन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार दक्षता मापदंड हैं, पारदर्शी बोली प्रक्रिया है, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व साझाकरण मॉडल है।
- vii. वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को मानक आवश्यकता के 100% तक बढ़ा दिया गया है, ऐसे मामलों में जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता के 90% तक घटा दिया गया था (गैर-तटीय) या जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता के 70% तक घटा दिया गया था (तटीय विद्युत संयंत्र)। एसीक्यू में वृद्धि से घरेलू कोयले की आपूर्ति में वृद्धि होगी, जिससे आयात निर्भरता कम होगी।
- viii. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा शुरुआती स्तर और वार्षिक अनुबंधित मात्रा के स्तर पर ध्यान दिए बिना कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के निर्णय से आयात पर निर्भरता कम होगी।
- ix. कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय में दिनांक 29.05.2020 को एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। कोयला आयात प्रतिस्थापन पर भावी रोडमैप पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला आयात प्रतिस्थापन पर एक कार्यनीति पत्र शुरू किया गया है

इसके अलावा, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:

- i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए हैं। अपनी भूमिगत (यूजी) खदानों में, सीआईएल मुख्य रूप से सतत खनिकों (सीएम) के साथ, जहाँ भी संभव हो, बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक (एमपीटी) अपना रहा है। सीआईएल ने परित्यक्त/बंद खदानों की उपलब्धता को देखते हुए हाई वॉल (एचडब्ल्यू) खदानों की भी योजना बनाई है। सीआईएल जहाँ भी संभव हो, वहाँ बड़ी क्षमता वाली यूजी खदानों की भी योजना बना रही है। अपनी ओपन कास्ट (ओसी) खदानों में, सीआईएल के पास पहले से ही उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटर, डम्पर और सरफेस माइन्स में अत्याधुनिक तकनीक है।
- ii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नई परियोजनाओं की ग्राउंडिंग और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए नियमित संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयला निकासी के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी), क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वेट-बिन आदि जैसे अवसंरचना के विकास के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

वर्ष 2022-23, 2023-24 और वर्तमान वर्ष के लिए अक्टूबर, 2024 तक जलविद्युत उत्पादन का ब्यौरा

क्रम सं.	वर्ष	उत्पादन (एमयू)
1	2022-23	1,62,099
2	2023-24	1,34,054
3	2024-25 (अक्टूबर तक)	1,09,078

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1725
दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम

1725. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) इंडिया के अध्ययन के अनुसार भारत सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है और भारत के ताप विद्युत संयंत्र धान की पराली जलाने की तुलना में 240 गुना अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता के कारण जन स्वास्थ्य पर इन ताप विद्युत संयंत्रों के प्रभाव और इसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में हुई हानि का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियां देश में कुल ताप विद्युत संयंत्रों में से केवल 8 प्रतिशत में ही कार्य कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : सभी ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा अधिसूचित उत्सर्जन मानदंडों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है। एमओईएफ और सीसी की अधिसूचना दिनांक 07.12.2015, 31.03.2021 और 05.09.2022 में श्रेणी-क, ख और ग के रूप में वर्गीकृत कोयला आधारित टीपीपी के संबंध में स्टैक उत्सर्जन मानदंड [सल्फर डाइ-ऑक्साइड (SO₂) सहित] और अनुपालन के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है।

SO₂ उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए, कोयला आधारित टीपीपी में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियां संस्थापित की जा रही हैं। टीपीपी में एफजीडी की संस्थापना के लिए कुल 537 यूनिट (2,04,160 मेगावाट) चिन्हित की गई हैं। इनमें से 44 यूनिटों (22,590 मेगावाट) में एफजीडी संस्थापित की जा चुकी है, 233 यूनिट (1,02,040 मेगावाट) में कॉन्ट्रैक्ट दिए जा चुके हैं/कार्यान्वयन के अधीन हैं, 138 यूनिट (43,987 मेगावाट) निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं और 122 यूनिट (35,543 मेगावाट) निविदा-पूर्व प्रक्रिया के अंतर्गत हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1744

दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

अविद्युतीकृत गांव

1744. श्री दीपक अधिकारी (देव)

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 31.10.2024 तक विद्युतीकरण से वंचित गांवों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) देश में अविद्युतीकृत गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा दिया है, ताकि उन्हें सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में सभी बसे हुए गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत किया गया था। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था (राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न है)। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत और उसके बाद सौभाग्य के अंतर्गत, जैसा कि सभी राज्यों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूरा कर लिया गया था। सौभाग्य के तत्वावधान में कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था (राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न है)। दोनों स्कीमों में दिनांक 31.03.2022 तक बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की चल रही स्कीम के अंतर्गत, सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता दे रही है। इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी चिन्हित घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत आदिवासी घरों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के तहत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए संस्वीकृति दी जा रही है। अब तक, पीएम-जनमन के तहत चिन्हित पीवीटीजी घरों और डीए-जेजीयूए के तहत चिन्हित आदिवासी घरों सहित 9,49,548 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,281 करोड़ रुपये के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है (राज्यवार विवरण **अनुबंध-III** पर संलग्न है)। इसके अतिरिक्त, नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत 9,863 घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण हेतु 49 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं (राज्यवार विवरण **अनुबंध-IV** पर संलग्न है)।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत बसे हुए जनगणना गांवों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	18,374

सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत किए गए घर, जिनमें डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घर भी शामिल हैं

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुदुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		2,86,13,424

*सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत घरों की संख्या
क.	अतिरिक्त घर		
1	राजस्थान	459	1,90,959
2	मेघालय	436	50,501
3	मिजोरम	80	15,167
4	नागालैंड	70	10,004
5	उत्तर प्रदेश	931	2,51,487
6	आंध्र प्रदेश	49	15,475
7	झारखंड	7	872
8	जम्मू और कश्मीर	77	10,730
9	बिहार	239	35,467
10	असम	786	1,27,111
11	अरुणाचल प्रदेश	47	6,506
12	मणिपुर	214	36,972
13	छत्तीसगढ़	317	63,161
	कुल (क)	3,712	8,14,412
ख.	वाइब्रंट विलेजे कार्यक्रम के तहत		
1	हिमाचल प्रदेश*	6	-
2	अरुणाचल प्रदेश	20	1,683
3	उत्तराखंड	13	1,154
	कुल (ख)	39	2,837
ग.	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत		
ग1	आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत		
1	आंध्र प्रदेश	89	25,054
2	बिहार	0.28	51
3	छत्तीसगढ़	38	7,077
4	झारखंड	74	12,442
5	मध्य प्रदेश	143	29,290
6	महाराष्ट्र	27	8,556
7	राजस्थान	40	17,633
8	कर्नाटक	4	1,615
9	केरल	1	345
10	तमिलनाडु	30	10,673
11	तेलंगाना	7	3,884
12	त्रिपुरा	62	11,664
13	उत्तराखंड	1	669
14	उत्तर प्रदेश	1	316
	उप योग (ग1)	516	1,29,269
ग2	राज्य योजना के तहत		
1	गुजरात	0	0
2	ओडीशा	0	0
3	पश्चिम बंगाल	0	0
	उप योग (ग2)	0	0
	कुल (ग=ग1+ग2)	516	1,29,269
घ.	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत		
1	छत्तीसगढ़	12	2,550
2	महाराष्ट्र	2	480
	कुल (घ)	14	3,030
	महा योग (क+ख+ग+घ)	4,281	9,49,548

नई सौर विद्युत स्कीम के तहत संस्वीकृत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित घरेलू विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,675
2	छत्तीसगढ़	1,578
3	झारखंड	2,342
4	कर्नाटक	179
5	मध्य प्रदेश	2,060
6	तेलंगाना	326
7	त्रिपुरा	1,703
कुल		9,863

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1753
दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

ताप संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

1753. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता और बंगलुरु जैसे सभी प्रमुख महानगर ताप संयंत्रों, पुनर्विकास और अवसंरचना परियोजनाओं को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में उपलब्ध कोयला स्टॉक दिनांक 31.03.2023 को 36.95 मिलियन टन (एमटी) (लगभग 13 दिनों के लिए पर्याप्त) से बढ़कर दिनांक 31.03.2024 को 50.69 मीट्रिक टन (लगभग 18 दिनों के लिए पर्याप्त) हो गया। दिनांक 30.11.2024 को विद्युत संयंत्रों में उपलब्ध कोयला स्टॉक लगभग 39.9 मीट्रिक टन है, जो 85% प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर लगभग 14 दिनों के लिए पर्याप्त है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और बंगलुरु जैसे प्रमुख महानगरों सहित देश में विद्युत की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) : भारत सरकार द्वारा मांग वृद्धि के साथ विद्युत आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

(i) संस्थापित उत्पादन क्षमता मार्च 2014 में 2,48,554 मेगावाट से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 4,54,452 मेगावाट हो गई है।

विद्युत मंत्रालय ने राज्यों के परामर्श से वर्ष 2031-32 तक न्यूनतम 80,000 मेगावाट की तापीय क्षमता जोड़ने की योजना की परिकल्पना की है। इस लक्ष्य के निमित्त, 29,200 मेगावाट तापीय क्षमता पहले से ही निर्माणाधीन है, जबकि 51,520 मेगावाट योजना और विकास के विभिन्न चरणों में है। इसके अलावा, 13,997.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएँ और 6,050 मेगावाट पंप भंडारण

परियोजनाएँ (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। 24,225.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएँ और 50,760 मेगावाट की पीएसपी योजना के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, 7,300 मेगावाट परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और 7,000 मेगावाट योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

- (ii) वर्ष 2014 से 1,98,970 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें, 7,53,799 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता जोड़ी गई है, जिसमें देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 1,18,740 मेगावाट अंतरित करने की क्षमता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2031-32 तक की दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1274 जीवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

- (iii) सौर, पवन, पंप भंडारण संयंत्र और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से उत्पादित विद्युत के पारेषण पर आईएसटीएस प्रभार की छूट।
- (iv) नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व ट्रेजेक्टरी वर्ष 2029-30 तक।
- (v) हरित ऊर्जा गलियारों का निर्माण और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना।
- (vi) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।
- (vii) भारत ने वर्ष 2031-32 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 5,00,000 मेगावाट से अधिक तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- (viii) आरडीएसएस के तहत, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण अवसंरचना के कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2.77 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है।
- (ix) पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) के तहत राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली के सुधार के लिए कुल 188 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- (x) पावर एक्सचेंजों में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम) ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीएडीएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम), हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी-डीएम) की शुरुआत की गई। साथ ही, डिस्कामों द्वारा अल्पकालिक विद्युत क्रय के लिए ई-बिडिंग और ई-रिवर्स के लिए दीप पोर्टल (अनुकूल विद्युत मूल्य) की शुरुआत की गई।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1775

दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में विद्युत संकट का समाधान

1775. श्री बिष्णु पद राय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें द्वीपों में विद्युत कटौती और विद्युत की कमी से संबंधित मुद्दों को रेखांकित किया गया है और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए संभावित उपायों का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विद्युत संकट का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विद्युत संकट को स्थायी रूप से कम करने और उसका स्थायी रूप से समाधान करने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना का अल्पकालिक और दीर्घावधि दोनों प्रकार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विद्युत संकट के समाधान के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो इसके पूरा होने या सुधार की संभावित तारीखों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जी हां।

(ख) से (घ) : अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में विद्युत की समस्या को कम करने और उसका समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

अल्पकालिक उपाय

I. मौजूदा उत्पादन क्षमता में वृद्धि:

- एनटीपीसी के 15 मेगावाट डीजल जनरेटर (डीजी) विद्युत संयंत्र की प्रचालन अवधि का विस्तार।
- इसके अलावा, अंडमान और निकोबार प्रशासन के विद्युत विभाग द्वारा पीपीए मोड के तहत चैथम में 10 मेगावाट, ओगराब्रज में 5 मेगावाट और बम्बूफ्लैट में 5 मेगावाट की अतिरिक्त डीजी विद्युत के लिए निविदा को भी अंतिम रूप दिया गया है।

- iii. चैथम पावर हाउस में 7x2000 केवीए डीजी सेट और फीनिक्स बे में 5x2000 केवीए डीजी सेट तक इन-हाउस उत्पादन क्षमता में वृद्धि।
- iv. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) द्वारा 20 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की स्थापना निविदा प्रक्रिया में है और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा 15 मेगावाट बीईएसएस भी प्रस्तावित है।

दीर्घकालिक उपाय

i. 50 मेगावाट एलएनजी विद्युत संयंत्र की स्थापना:

विद्युत मंत्रालय ने एनटीपीसी लिमिटेड को दक्षिण अंडमान द्वीप समूह में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए श्री विजयपुरम (पोर्ट ब्लेयर) में 50 मेगावाट री-गैसीफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (आरएलएनजी) आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है और दिनांक 07.11.2024 को निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) प्रकाशित की गई है।

ii. वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना:

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में वितरण अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम(आरडीएसएस) के अंतर्गत 54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्मार्ट मीटरिंग कार्यों और 462 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वितरण अवसंरचना कार्यों को संस्वीकृति दी गई है।

iii. नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) योजना

एसईसीआई द्वारा द्वीपों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) योजना की परिकल्पना की गई है। इसमें दक्षिण अंडमान, उत्तर एवं मध्य अंडमान और निकोबार जिलों में 123.25 मेगावाट सौर ऊर्जा, 36 मेगावाट पवन ऊर्जा, 316.2 मेगावाट बीईएसएस और अन्य नवीकरणीय स्रोतों की कुल क्षमता की परिकल्पना की गई है, जो द्वीपों के लिए एक इष्टतम ऊर्जा मिश्रण सुनिश्चित करेगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1782
दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद

1782. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों के लिए अपनी विद्युत मांग के अनुसार अन्य नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद करना अनिवार्य कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रशुल्क नीति, 2006 में कोई संशोधन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों की वितरण कंपनियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद सुनिश्चित करने के लिए कोई विनियामक तंत्र तैयार किया है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत दिनांक 20.10.2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा खपत का न्यूनतम हिस्सा अनिवार्य कर दिया है। वितरण लाइसेंसधारियों और अन्य सभी निर्दिष्ट उपभोक्ताओं, जो वितरण लाइसेंसधारी के अलावा अन्य स्रोतों से विद्युत की खपत की सीमा तक ओपन एक्सेस उपभोक्ता या कैप्टिव उपयोगकर्ता हैं, को वर्ष 2024-25 से 2029-30 के दौरान विद्युत ऊर्जा खपत के अपने कुल हिस्से के प्रतिशत के रूप में विभिन्न प्रकार के गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा खपत का न्यूनतम प्रतिशत उपयोग करने के लिए निम्नलिखित विवरण अनुसार अनिवार्य किया गया है:

क्रम. सं.	वर्ष	पवन नवीकरणीय ऊर्जा	जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा	वितरित नवीकरणीय ऊर्जा*	अन्य नवीकरणीय ऊर्जा	कुल नवीकरणीय ऊर्जा
1.	2024-25	0.67%	0.38%	1.50%	27.35%	29.91%
2.	2025-26	1.45%	1.22%	2.10%	28.24%	33.01%
3.	2026-27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	35.95%
4.	2027-28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	38.81%
5.	2028-29	2.95%	1.42%	3.90%	33.10%	41.36%
6.	2029-30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	43.33%

*पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक तालिका में दिए गए घटक का आधा होगा और इन राज्यों के लिए शेष घटक अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में शामिल किया जाएगा।

(ख) और (ग) : विद्युत मंत्रालय ने 31 मार्च 2008 को टैरिफ नीति, 2006 में संशोधन किया है ताकि इसे जल विद्युत नीति, 2008 के साथ संरेखित किया जा सके। इसके अलावा, कुल खपत में सौर ऊर्जा का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करने और जल विद्युत परियोजनाओं और कुछ पारेषण परियोजनाओं को क्रमशः टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से छूट देने के लिए टैरिफ नीति, 2006 में 20 जनवरी 2011 और 8 जुलाई 2011 को संशोधन जारी किए गए हैं।

तदुपरान्त, 28 जनवरी 2016 को संशोधित राष्ट्रीय टैरिफ नीति जारी की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से विद्युत मंत्रालय द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) के लिए दीर्घकालिक विकास ट्रेजेक्ट्री को अनिवार्य करने का प्रावधान शामिल है।

(घ) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 20.10.2023 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नामित उपभोक्ता(ओं) द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के अनुपालन की निगरानी के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को नामित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा खपत लक्ष्यों में कमी के मामले में, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 26 की उप-धारा (3) के तहत प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित राज्य आयोग के सदस्य द्वारा न्यायिक निर्णय लिया जाना है।
